



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042026-272034
CG-DL-E-24042026-272034

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1989]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1989]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2062(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के कंधमाल जिले में NH157 के कि.मी. 29.8 (डिज़ाइन कि.मी. ०.०) से कि.मी. 39 (डिज़ाइन कि.मी. ७.२५) (फुलबनी सहर का बाईपास रोड निर्माण) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डेप्युटी कलेक्टर कंधमाल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर

देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के कंधमाल जिले में NH157 के कि.मी. 29.8 (डिज़ाइन कि.मी. ०.०) से कि.मी.39 (डिज़ाइन कि.मी. ७.२५) (फुलबनी सहर का बाईपास रोड निर्माण) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: कंधमाल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: खजुरीपाड़ा					
गांव का नाम: कालड़ी					
1	886	निजी	एग्रीकल्चर	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
गांव का नाम: तिलकपाड़ा					
2	123	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
3	124	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.225 (हेक्टेयर)	0.225
4	125	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
5	159	निजी	एग्रीकल्चर	0.041 (हेक्टेयर)	0.041
6	227	निजी	एग्रीकल्चर	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
7	229	निजी	एग्रीकल्चर	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
8	240	निजी	रेसिडेंशियल	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
9	269	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
10	270	निजी	एग्रीकल्चर	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
11	277	निजी	एग्रीकल्चर	0.021 (हेक्टेयर)	0.021

12	278	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
13	283	निजी	एग्रीकल्चर	0.033 (हेक्टेयर)	0.033
14	284	निजी	एग्रीकल्चर	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
15	285	निजी	एग्रीकल्चर	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
16	286	निजी	एग्रीकल्चर	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
17	290	निजी	एग्रीकल्चर	0.069 (हेक्टेयर)	0.069
18	291	निजी	एग्रीकल्चर	0.087 (हेक्टेयर)	0.087
19	292	निजी	एग्रीकल्चर	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
20	293	निजी	एग्रीकल्चर	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
21	294	निजी	एग्रीकल्चर	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
22	330	निजी	एग्रीकल्चर	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
23	331	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
24	333	निजी	एग्रीकल्चर	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
25	344	निजी	एग्रीकल्चर	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
26	346	निजी	एग्रीकल्चर	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
27	347	निजी	एग्रीकल्चर	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
28	348	निजी	एग्रीकल्चर	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
29	349	निजी	एग्रीकल्चर	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
30	350	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
Total					1.152

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2062(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of project

Construction of Bypass road to Phulbani town from 29,800(Design Km 0.0) to Km 39,000 (Design Km 7.250) of NH-157 in the state of Odisha on EPC mode under Annual Plan 2022-23, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Duputy Collector Kandhamal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling under the project Construction of Bypass road to Phulbani town from 29.8 (Design Km 0.0) to Km 39 (Design Km 7.250) of NH-157 in the state of Odisha on EPC mode under Annual Plan 2022-23.

State: ODISHA			District: KANDHAMAL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Khajuripada					
Village: Kaladi					
1	886	Private	Agriculture	0.048 (Hectare)	0.048
Village: Tilakpada					
2	123	Government	Non Agriculture	0.029 (Hectare)	0.029
3	124	Government	Non Agriculture	0.225 (Hectare)	0.225
4	125	Government	Non Agriculture	0.202 (Hectare)	0.202
5	159	Private	Agriculture	0.041 (Hectare)	0.041
6	227	Private	Agriculture	0.009 (Hectare)	0.009
7	229	Private	Agriculture	0.017 (Hectare)	0.017
8	240	Private	Residential	0.003 (Hectare)	0.003
9	269	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
10	270	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
11	277	Private	Agriculture	0.021 (Hectare)	0.021
12	278	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
13	283	Private	Agriculture	0.033 (Hectare)	0.033
14	284	Private	Agriculture	0.082 (Hectare)	0.082
15	285	Private	Agriculture	0.011 (Hectare)	0.011
16	286	Private	Agriculture	0.028 (Hectare)	0.028
17	290	Private	Agriculture	0.069 (Hectare)	0.069
18	291	Private	Agriculture	0.087 (Hectare)	0.087
19	292	Private	Agriculture	0.072 (Hectare)	0.072
20	293	Private	Agriculture	0.034 (Hectare)	0.034
21	294	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004

22	330	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
23	331	Government	Non Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
24	333	Private	Agriculture	0.032 (Hectare)	0.032
25	344	Private	Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
26	346	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
27	347	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
28	348	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
29	349	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
30	350	Government	Non Agriculture	0.007 (Hectare)	0.007
Total					1.152

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director